न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 15/2025

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, पामेरा, तहसील– रेवदर व जिला– सिरोही
2. श्रीमती पंखुदेवी पत्नी चेनाराम जी सुथार, निवासी– पामेरा, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

–: निर्णय :– **दिनांक 10 दिसम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) पंखुदेवी पत्नी चेनाराम जी सुथार, निवासी– पामेरा के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन का जारी पट्टा विलेख संख्या 43 दिनांक 17–4–2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस बिनाय पर प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा जारी अवैध पट्टों की शिकायत की जांच गठित कमेटी पंचायत समिति, रेवदर से करवाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा पट्टा संख्या 43 दिनांक 17–4–2017 अनियमित जारी करना पाया गया। श्रीमती पंखुदेवी पत्नी चेनाराम जी सुथार, निवासी– पामेरा को पट्टा संख्या 43 दिनांक 17–4–2017 को रियायती दर पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने हेतु गठित मौका कमेटी के सदस्य रहते हुए श्री चेनाराम सुथार ने अपनी पत्नी के नाम से पट्टा जारी करवाया है, जो नियम विरुद्ध है। श्रीमती पंखुदेवी पत्नी चेनाराम जी सुथार, निवासी– पामेरा को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत सरपंच, ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अनियमित पट्टा जारी कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पॅहुचाई है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर पंजीकृत डाक से तामिल करवाये गये, लेकिन अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थीगण की ओर से कोई जबाव प्रस्तुत हुआ। अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 10–12–2025 को प्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अतः प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड/दस्तावेजों के अनुसार गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

(4) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड/दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियों का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत अप्रार्थी पंखु देवी पत्नी चेनाराम जी सुथार, निवासी– पामेरा के पक्ष में क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूखण्ड़, रियायती दर पर आवंटन का जारी पट्टा विलेख संख्या 43 दिनांक 17–4–2017 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत इस नियम में वर्णित श्रेणी के ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्वयं का आवासीय गृह या गृह स्थल नही है को पंचायत द्वारा निःशुल्क या रियायती दर पर भूखण्ड़ आवटंन किये जाने का प्रावधान है।

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पत्रावली पर उपलब्ध, श्री हमीरदान चारण व श्री भरतसिंह वाघेला, जांच अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर का संयुक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 19–12–2017 के अनुसार ग्राम पंचायत, पामेरा के वार्ड पंच श्री चेनाराम सुथार ने अपने पत्नि श्रीमती पंखुदेवी पत्नी चेनाराम सुथार के नाम से पट्टा संख्या 43 दिनांक 17–4–2017 को अवैध रुप से जारी करवाया है। ग्राम पंचायत की पत्रावली में रणछोडराम, भुबाराम व चेनाराम को ही मौका कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है एवं तीनों के स्वयं एवं परिवार के नाम से पट्टे जारी किये गये है। आपत्ति ईश्तिहार जारी किया गया है परन्तु इस पर जावक क्रमांक व दिनांक अंकित नही है एवं न ही चस्पानगी रिपोर्ट है, केवल मात्र खाना पूर्ति हेतु आपत्ति पत्र पत्रावली में संलग्न किये है। ग्राम पंचायत द्वारा मिसल दायर रजिस्टर का संधारण नही किया गया हैं। उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के निष्कर्ष में यह भी अंकित किया है कि मौका कमेटी के सदस्य भी स्वयं आवंटी है एवं सभी बैठकों में वर्णित आवंटि/सदस्यों द्वारा भाग लिया गया है, जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 48(3) के अनुसार किसी पंचायती राज संस्था का कोई भी सदस्य पंचायती राज संस्था की किसी बैठक में विचार के लिये आने वाले किसी भी प्रश्न की चर्चा में मतदान नही करेगा या भाग नही लेगा, यदि वह ऐसा प्रश्न है जिसमें, जनता पर उसके सामान्य लागूकरण के अलावा उसका कोई भी धनीय हित हो। इस प्रकार, उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पामेरा के वार्ड पंच श्री चेनाराम सुथार ने वार्ड पंच रहते हुए एवं मौका निरीक्षण कमेटी में सदस्य रहकर व पंचायत की बैठकों में भाग लेकर स्वयं की पत्नी पंखुदेवी पत्नी चेनाराम सुथार के नाम पर ग्राम पंचायत, पामेरा से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन का पट्टा जारी करवाया है, जो नियम विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत पट्टा विलेख को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी पंखुदेवी पत्नी श्री चेनाराम सुथार, निवासी– पामेरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूखण्ड़ का रियायती दर पर आवंटन का जारी पट्टा विलेख संख्या 43 दिनांक 17–4–2017 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही